

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग-3,
संख्या 785/XVIII(3)/2017-02(61)/2017
दिनांक: देहरादून: ०९ नवम्बर, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, अधिसूचना संख्या 27/आठ-भू0अ0(2015-16)पौड़ी, दिनांक 23 नवम्बर, 2016 के क्रम में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन यह घोषणा करते हैं कि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना जो कि एक महत्वपूर्ण लोक प्रयोजन है, हेतु ग्राम कोठड़, ब्लॉक खिर्सू, तहसील श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल में कुल 0.085 हे० नाप भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है।

इसलिए राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त परियोजना के अर्जन हेतु निम्नलिखित भू-खंड, जिसका खसरा नं० का कुल रकबा 0.085 हेक्टेयर है तथा जो ग्राम कोठड़, ब्लॉक खिर्सू, तहसील श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल में अवस्थित है, का विस्तृत ब्योरा निम्नलिखित है:

क्र० सं०	खाता संख्या	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे०में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
							उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम	उद्यान	वन	प्रकार	कुर्सी क्षेत्रफल (वर्ग मी०)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	60	2	संयुक्त	कृषि	0.010	मीरा देवी पत्नी जगदीश प्रसाद, पारस भट्ट पुत्र जे०पी० भट्ट	1	4	5	1	शून्य	शून्य	आवासीय/ व्यावसायिक	94.95
													आवासीय/ व्यावसायिक	52.80
2		15	संयुक्त	कृषि	0.044	नितिन, विपिन पुत्र देवेन्द्र सिंह, कर्ण सिंह पुत्र कामी सिंह, सरोजनी देवी पत्नी दलीप सिंह	14	17	13	19	शून्य	शून्य	आवासीय आवासीय	67.43 99.08
3	35	16	संयुक्त	कृषि	0.020		15	19	20	18	शून्य	शून्य	-	-
4		20म	संयुक्त	कृषि	0.011		15	30	21	16	शून्य	शून्य	-	-
योग-					0.085								4	

राज्यपाल को यह विश्वास हो गया है कि यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।
टिप्पणी- जिला भूमि अर्जन अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल एवं उपजिलाधिकारी, श्रीनगर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को योजना से सम्बन्धित भू-अभिलेखों का अवलोकन किया जा सकता है।


(हरबंस सिंह चुघ)
सचिव (प्रमारी), राजस्व
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या : 785 /XVIII(3)/2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राजस्व परिषद्, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को असाधारण राजपत्र में मुद्रित कराकर 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को वेब साईट पर प्रसारण हेतु।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(जे0पी0 जोशी)

अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of the Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 785/XVIII(3)/2017 dated 09/11/2017 for general information.

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
RAJASWA ANUBHAG-3
No. 785/XVIII(3)/2017-2(61)/2017
Dehradun: Dated: 09 November, 2017


Notification

Under sub-section (1) of section 19 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Centre Act no 30 of 2013), in continuation of the Notification No. 27/Eight-L.A(2015-16) Pauri, dated 23 November, 2016, the Governor is pleased to declare that total 0.085 hectare land is required to acquire in the village Kothad, Block Khirsu, Tehsil Srinagar, District Pauri Garhwal for the important public purposes Rishikesh-Karanpryag Rail Line Project and the State Government is also satisfied for that purpose.

Therefore, the Governor is declare that the following plots for acquisition of the above project which Survey (Khasra) numbers and total area is 0.085 hectare and is situated at village Kothad, Block Khirsu, Tehsil Srinagar, District Pauri Garhwal and which detailed as follows:-

Sl. No.	Khata No.	Survey (Khata) No.	Type title	Type of land	Area under Acquisition (in hectare)	Name and address of person interested	Boundaries				Trees		Structures	
							N.	S.	E.	W.	Fruits	Forest	Type	Plinth Area (Sq.Mtr.)
1	60	2	Joint	Agriculture	0.010	Meera Devi W/o Jagdish Prasad Paras Bhatt S/o J.B Bhatt	1	4	5	1	NIL	NIL	Residencial/ Comercial Residencial/ Comercial	94.95 52.80
2	35	15	Joint	Agriculture	0.044	Nitin, Bipin S/o Devendra Singh	14	17	13	19	NIL	NIL	Residencial Residencial	67.43 99.08
3		16	Joint	Agriculture	0.020	Karn Singh S/o Kami Singh,	15	19	20	18	NIL	NIL	-	-
4		20 M	Joint	Agriculture	0.011	Sarojani Devi W/o Dalip singh	15	30	21	16	NIL	NIL	-	-
total					0.085								4	

The Governor is satisfied that this declaration is made after hearing of interested persons with the due investigation as provided in section 15 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Centre Act no 30 of 2013).
 Note- The interested person may be inspected the project land records in any working day of the office of the district land acquisition officer, Distt. Pauri and SDM Office Srinagar.


(Harbans Singh Chugh)
Secretary In-charge (Revenue)
Uttarakhand Secretariat